



प्रेस नोट 01- दिनांक 13.07.2024

थाना मौरावां, जनपद उन्नाव

पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा क्षेत्राधिकारी पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 12.07.2024 को वादी श्री नन्हा राम पुत्र राम औतार निवासी ग्राम कटरा चेताराय थाना मौरावां जनपद उन्नाव द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 11/12.07.2024 की रात्रि में सुरेश लोधी ने मेरी भतीजी आरती का साड़ी से गला कसकर हत्या कर दी है। वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 12.07.2024 को मु0अ0सं0-336/2024 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 1. सुरेश लोधी पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम गुलरिहा थाना मौरावां जनपद उन्नाव पंजीकृत किया गया। अभि0 सुरेश लोधी उपरोक्त को थाना मौरावां पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.07.2024 को ग्राम अकोहरी चौराहा से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण

1. सुरेश लोधी पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम गुलरिहा थाना मौरावां जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्र0नि0 श्री चन्द्रकान्त सिंह
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र प्रताप
3. कां0 समीर
4. कां0 पुष्पेन्द्र





प्रेस नोट 02- दिनांक 13.07.2024

थाना मौरावां, जनपद उन्नाव

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा क्षेत्राधिकारी पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 07.07.2024 को थाना मौरावां पर पजीकृत मु0अ0सं0 327/2024 धारा 363/366/376(3) आईपीसी व 5(j)(2)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश मे आये वांछित अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र रामदीन पासी निवासी ग्राम पूरे बेनी सिंह का पुरवा थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी उम्र 20 वर्ष को थाना मौरावां पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.07.2024 को बरेन्दा चौराहे से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण

1. अजीत कुमार पुत्र रामदीन पासी निवासी ग्राम पूरे बेनी सिंह का पुरवा थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
2. हेड कां0 राधेश्याम
3. कां0 जितेन्द्र कुमार





प्रेस नोट 03- दिनांक 13.07.2024

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव।

तीन वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा क्षेत्राधिकारी हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा तीन वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 13.07.2024 को उ0नि0 श्री अनिल शर्मा मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्तगण- 1.बाबू लाल पुत्र मिहीलाल पासी निवासी ग्राम काशीरामखेडा शाहपुर तोदा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव सम्बन्धित केश नं0 5174/09 अ0सं0 319/07 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 2. गुड्डू पुत्र दयाराम नि0 घूरामऊ थाना हसनगंज उन्नाव संबंधित केश नं0 1143/19 धारा 323/504/506 भादवि 3. सत्य नारायण पुत्र दयाराम नि0 घूरामऊ थाना हसनगंज उन्नाव संबंधित केश नं0 1143/19 धारा 323/504/506 भादवी को उनके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्तगण का विवरण

- 1.बाबू लाल पुत्र मिहीलाल पासी नि0 काशीराम खेडा,शाहपुर तोदा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 60 वर्ष ।
- 2.गुड्डू पुत्र दयाराम नि0 घूरामऊ थाना हसनगंज उन्नाव उम्र करीब 55 वर्ष
- 3.सत्य नारायण पुत्र दयाराम नि0 घूरामऊ थाना हसनगंज उन्नाव उम्र करीब 39 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री अनिल शर्मा थाना हसनगंज,उन्नाव ।
- 2.का0 विजय कुमार थाना हसनगंज,उन्नाव ।
3. का0 बनवारी लाल थाना हसनगंज उन्नाव ।





प्रेस नोट 04- दिनांक 13.07.2024

थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव

हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा क्षेत्राधिकारी सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के आरोपी को मय एक अदद बांका बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 13.07.2024 को श्रीमती बीनू पुत्री पप्पूलाल निवासी निबिहन खेड़ा मजरा खैरी गुरुदासपुर थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव द्वारा थाना फतेहपुर चौरासी पर सूचना दी कि वादिनी अपने पति विपिन पाल पुत्र अर्जुन पाल निवासी नवसझिया थाना मल्लावा जिला हरदोई उम्र करीब 33 वर्ष से अलग अपने मायके मे रहती है, जहां दिनांक 12.07.2024 की रात्रि में विपिन पाल उपरोक्त के द्वारा वादिनी को जान से मारने की नियत से बांका से हमला कर दिया, जिसमें मुकदमा वादिनी एवं उसके भाई को चोट आई है। सूचना पर थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त विपिन उपरोक्त को परिजनों की मदद से मौके से मय बांका के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार मु0अ0सं0 205/2024 धारा 109/115(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का विवरण

विपिन पाल पुत्र अर्जुन पाल निवासी नवसझिया थाना मल्लावा जिला हरदोई उम्र करीब 33 वर्ष। वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री संतोष कुमार
2. हे0का0 विनोद





प्रेस नोट 05- दिनांक 13.07.2024

थाना पुरवा, जनपद उन्नाव

गैर इरादतन हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 25.06.2024 को सुमन पत्नी सुनील ग्रा० व पो० बिछिया थाना पुरवा जनपद उन्नाव द्वारा थाना पुरवा पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 24/06/24 को समय लगभग 6.30 बजे शाम को मेरा पति सुनील पुत्र गंगाप्रसाद उम्र लगभग 40 वर्ष व गांव के संजय पुत्र राम किशुन नि० बिछिया थाना पुरवा उन्नाव उम्र लगभग 42 वर्ष गुड्डु पुत्र बच्चूलाल ग्रा० व पो० बिछिया थाना पुरवा उन्नाव की बेलिडंग के दुकान के पीछे हाते में बैठे थे। वहीं पर राजेश उर्फ राजा कटियार पुत्र अज्ञात नि० सकरन थाना पुरवा जनपद उन्नाव की पटाके की लाइसेंसी दुकान जो गुड्डू की दुकान के बगल में है। गुड्डू व राजेश उर्फ राजा में गहरी मित्रता होने के कारण राजेश उर्फ राजा द्वारा गुड्डू के बेलिडंग के दुकान के पीछे स्थित जीना के नीचे अवैध तरीके से कुछ पटाखा विस्फोटक पदार्थ लापरवाही पूर्व रखा था जिससे अज्ञात कारण व अचानक विस्फोट हो गया। जिससे मेरे पति गम्भीर रूप से झुलस गये व उनके काफी चोटें भी आईं जिनको लेकर बिछिया CHC गए जहाँ पर डक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल उन्नाव रिफर कर दिया फिर जिला अस्पताल हलाज हेतु ले गए जहाँ पर मेरे पति को मृत घोषित कर दिगया तथा संजय का इलाज अभी चल रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पुरवा पर मु०अ०सं० 150/24 धारा 286/304 भा०दं०वि० व 09 बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया, दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम की वृद्धि की गई। दिनांक 27.06.2024 को अभियुक्त श्याम नारायण

उर्फ गुड्डू पुत्र बच्चू लाल नि० ग्राम बिछिया थाना पुरवा जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 13.07.2024 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ राजा कटियार पुत्र स्व० भगवानदीन नि० ग्राम बिछिया थाना पुरवा जनपद उन्नाव को सरकारी अस्पताल पुरवा गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 1. राजेश कुमार उर्फ राजा कटियार पुत्र स्व० भगवानदीन नि० ग्राम बिछिया थाना पुरवा जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. व० उ० नि० श्री राजेश कुमार यादव
2. हे० कां० गोविंद सिंह
3. का० किशन सिंह

